भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1291

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार योजनाएँ

1291. श्री मनीष जायसवाल:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्यधिक रोजगार योग्य कौशल वाले युवाओं की जनसंख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में 21-30 आयु समूह के उच्च रोजगारयोग्य कौशल वाले युवाओं की पहचान करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश की युवा आबादी के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुगम बनाने हेतु सरकार की अन्य योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है। पीएमकेवीवाई के आरंभ से लेकर 30 जून, 2025 तक, इसमें प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 28.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेवीवाई के प्रारंभ से लेकर 30 जून, 2025 तक इसमें प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा:

राज्य	प्रशिक्षित/उन्मुख
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,501
आंध्र प्रदेश	5,27,676
अरुणाचल प्रदेश	98,157
असम	8,39,371
बिहार	7,59,846
चंडीगढ़	28,009
छत्तीसगढ	2,04,474
दिल्ली	5,26,790
गोवा	10,484
गुजरात	4,71,538
हरियाणा	7,62,041
हिमाचल प्रदेश	1,76,021
जम्मू एवं कश्मीर	4,29,204
झारखंड	3,14,048
कर्नाटक	6,05,147
केरल	2,74,550
लद्दाख	4,076
लक्षद्वीप	390
मध्य प्रदेश	12,13,250
महाराष्ट्र	13,31,385
मणिपुर	1,14,910
मेघालय	58,706
मिजोरम	44,147
नागालैंड	54,013
ओडिशा	6,02,124
पुडुचेरी	35,491
पंजाब	5,59,406
राजस्थान	14,06,943
सिक्किम	19,479
तमिलनाडु	8,85,134
तेलंगाना	4,64,107
डीएनएच और डीडी	11,842
त्रिपुरा	1,59,920
उत्तर प्रदेश	25,06,438
उत्तराखंड	2,51,815
पश्चिम बंगाल	6,50,830
योग	**1,64,07,263**